

# कला संकाय

सम्बद्धता प्रमाण-पत्र

(Annexure - A)

राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश  
लखनऊ-२२७१३२

4657  
संख्या-ई.स./जी.एस.  
दिनांक 12-18/२००४

प्रेषक,

श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के विशेष सचिव  
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

कुलसचिव,  
बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय,  
झांसी।

महोदय,

आपके पत्र संख्या-बु.वि./सम्बद्धन/१४४८-५०/२००४ दिनांक १७.६.२००४ के मंदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ कि महामहिम कुलाधिपति महोदय ने उ०प्र०राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३ की धारा ३७(२) सुसंगत प्रावधानों के तथा संशोधन अधिनियम २००३ की धारा-२ के अधीन सीताराम समर्पण महाविद्यालय, नरैनी, बांदा को कला संकाय में स्नातक स्तर पर हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, शिक्षाशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीतिविज्ञान एवं इतिहास विषयों में स्ववित्त पोषित योजनामय निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक १.७.२००४ से आगामी तीन वर्षों हेतु सम्बद्धता की स्वीकृति स्वरूप प्रदान कर दी है :-

१. महाविद्यालय सम्बद्धता प्राप्त होते ही निरीक्षण आख्या/प्रपत्र 'बी' में इंगित समस्त कार्रगियों एवं पुरा स्थान पर मानकानुसार भूमि संस्था के नाम करने की शर्त को पूरा कर लेगी अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
२. संस्था उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या - २८५१/सत्तर-२- २००३-३६ (६२)/२००२, दिनांक २ जुलाई, ०३ में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं समय-समय पर इस विषय में निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी। विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त महाविद्यालय द्वारा शासनादेश एवं अन्य सुसंगत नियमों का पूर्णरूपेण परिपालन किया जा रहा है।
३. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिणियमावली में वर्णित तथा शासन द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उ०प्र०राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम १९७३ के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय,

(राजेश कुमार ओझा)  
कुलाधिपति के विशेष सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

१. सचिव, उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, उ०प्र०१८-ए, न्याय मार्ग, इलाहाबाद।
२. प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग लखनऊ।
३. निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा, निदेशानाय, इलाहाबाद
४. प्राचार्य, सीताराम समर्पण महाविद्यालय, नरैनी, बांदा

(राजेश कुमार ओझा)  
कुलाधिपति के विशेष सचिव



हुन्दलहाण्ड विद्यालय, झांसी

पत्रांक- सुवीच0/सम्बद्धन/2004/1686-91

दिनांक-17 02

प्रतिलिपि-: निम्न को सूफार्च एवं आक्षयक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1- प्रबंधक/प्राचार्य, सीताराम समर्पण महाविद्यालय, नरैनी, बाँदा ।


2- वित्त अधिकारी।

3- उपकुलसचिव गोप0 ।

4- सहायक कुलसचिव परीक्षा/प्रशा0 ।

5- कुलसचिव के आशुलिपिक।

6- कार्यवाही से सम्बंधित सहायक को कार्यवाही के अन्तर्गत बैठक में सूफार्च प्रस्तुत करने हेतु प्रेषित।



अध्यक्ष

अनुभाग अधिकारी, हुन्दलहाण्ड



सलग्नक -

संख्या-2577/सत्तर-2-2007-2(264)/2003

प्रेषक,

अनिल कुमार सिंह,  
अनु सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलासचिव,  
दुन्देराखण्ड विश्वविद्यालय,  
झाँसी।

उच्च शिक्षा अनुभाग-2

विषय:-

महाविद्यालय संचालन हेतु सम्बद्धता की स्वीकृति।

लाघनक्र.दिनांक: 10 जुलाई, 2007

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक:बु.प्र.वि.0/ए0के0/2007/2386-88, दिनांक 14-05-2007 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निवेश हुआ है कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2007) की धारा-37(2) के अधीन सीताराम समर्पण महाविद्यालय, नरैनी, बौदा को स्वतंत्र पोषित योजना के अन्तर्गत कला संकाय में स्नातक स्तर पर हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, समाजशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, राजनीतिशास्त्र एवं इतिहास विषयों में निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 01-07-2007 से सम्बद्धता की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी है:-

- (1) संस्था शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई 2003 में उल्लिखित.विशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
- (2) यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय,

(अनिल कुमार सिंह)  
अनु सचिव।

संख्या-2577(1)/सत्तर-2-2007-तबुदिनांक

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) प्रमुख सचिव, श्री कुलाधिपति, उत्तर प्रदेश।
- (2) निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- (3) क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, झाँसी।
- (4) प्रबन्धक/प्राचार्य, सीताराम समर्पण महाविद्यालय, नरैनी, बौदा।
- (5) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

2/5/2



## बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी

पृष्ठांकन सं०- बु०वि०/सम्ब०/2008/2810-18

दिनांक - 15-5-2008

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्राचार्य, सीताराम समर्पण महाविद्यालय, नरैनी, बांदा।
2. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, झाँसी।
3. का० डी० के० भट्ट, ई० गवर्नेंस अधिकारी।
4. वित्त अधिकारी।
5. सहायक कुलसचिव (परीक्षा/गोप०)
5. कुलपति जी के निजी सचिव।
7. कुलसचिव के आशुलिपिक
8. कार्यपरिषद से सम्बन्धित सहायक को इस आशय से प्रेषित कि उक्त प्रकरण कार्य परिषद की आगामी बैठक में प्रस्तुत करें।

(महेन्द्र कुमार)  
उपकुलसचिव



राज्यपाल कार्यालय, उत्तर प्रदेश,  
लखनऊ-227132

संख्या-इं.सं. 2572/जीएस  
दिनांक: 25/10/2005

प्रेषक: श्री राज्यपाल/कुलसचिव के विशेष सचिव  
उत्तर प्रदेश।  
सेवा में: कुलसचिव,  
मुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय,  
औरंगाबाद।  
गहोदय,

आपके पत्रांक-मुंवि०/सम्मान/७५४-५६/२००५ दिनांक २७-०६-२००५ के संदर्भ में मुझे आपरो यह कहने का आदेश हुआ है कि महागण्डेग कुलसचिव महोदय ने उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-१९७३ की धारा-३७ (२) के परन्तुक के अन्तर्गत शीतल समर्पण महाविद्यालय, नरैनी, बौदा को रनातक रातर पर कला संकाय के अन्तर्गत अधेशास्त्र, भूगोल एव गणित विषयों में स्वयत्त पोषित योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक ०१-०७-२००५ से आगामी तीन वर्ष हेतु सम्बद्धता की स्वीकृति सहर्ष प्रदान कर दी है-

- १- महाविद्यालय निरीक्षण आख्या एव प्रपत्र "बी" में इंगित समस्त कर्मियों को पूर्ण कर लेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
- २- महाविद्यालय द्वारा प्राध्यापक, प्रवक्तव्यों की नियमानुसार नियुक्ति कर उन पर विश्वविद्यालय का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा।
- ३- महाविद्यालय द्वारा कय की गयी भूमि को महाविद्यालय के नाम राज्य अभिलेखों में विहित अन्तर्गत कराते हुए भूमि की सशुद्धता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।
- ४- संस्था उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी शासनदेश संख्या-२८५१/सत्तर-२-२००३-१६ (६२)/२००२, दिनांक २ जुलाई २००३ में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं समय-समय पर हप्त नियम में निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
- ५- गौरी संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनिष्पत्त/आग्रादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा की उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-१९७३ के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

महाविद्यालय उपरोक्त समस्त कर्मियों आगामी ३० नवम्बर, २००५ तक पूर्ण कर लेगा।

भवदीय,

(हरी परम प्रकाश)  
कुलसचिव के विशेष सचिव

परिचिते निम्नांकित को सूचनाओं एवं आवश्यक दस्तावेजों हेतु प्रेषित:-

- १- राज्य, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- २- निदेशक उच्च शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद।
- ३- प्रवक्तव्य/प्राध्यापक, शीतल समर्पण महाविद्यालय, नरैनी, बौदा।

(हरी परम प्रकाश)  
कुलसचिव के विशेष सचिव



श्री. २२१,

इन्द्रदेव पटेल,  
अनु सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,  
वृन्देलाखण्ड विश्वविद्यालय,  
झाँसी।

उच्च शिक्षा अनुभाग-2

विषय.-

महाविद्यालय संचालन हेतु सम्बद्धता की स्वीकृति।

लखनऊ:दिनांक: 10 अक्टूबर, 2008

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक:बु0वि0/सम्ब0/2008/1170-71, दिनांक 16-07-2008 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा-37(2) के परन्तुक के अधीन सीताराम समर्पण महाविद्यालय, नरैनी, बोंदा को कला संकाय में स्नातक स्तर पर अर्थशास्त्र, भूगोल एवं गणित विषयों में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 01-07-2008 से आगामी तीनों वर्ष हेतु सशर्त सम्बद्धता की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी है:-

- (1) संस्था द्वारा उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2003 द्वारा मूल अधिनियम, 1973 की धारा-37(2) में प्राविधानित परन्तुक के अनुसार सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि में सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जायेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
- (2) संस्थान/महाविद्यालय प्रपत्र 'बी' में अंकित क्रमियों की पूर्ति कर लेगा एवं विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
- (3) संस्था शासनद्वारा संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
- (4) यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनिष्पत्ती/अध्यादेश में वर्णित दिशा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय,

(इन्द्रदेव पटेल)

अनु सचिव।

संख्या-सम्ब0-268(1)/सत्तर-2-2008-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- (2) क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, झाँसी।
- (3) सचिव/प्रबन्धक, सीताराम समर्पण महाविद्यालय, नरैनी, बोंदा।
- (4) निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री।
- (5) गार्ड फाइल।

आज्ञा से  
8-2008/1170-71  
(इन्द्रदेव पटेल)  
अनु सचिव।



संख्या-2420/सत्तर-2-2011-2(45)/2011

प्रेषक,

सुरजन सिंह,  
अनु सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,  
बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय,  
झांसी।

उच्च शिक्षा अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक: 22 सितम्बर, 2011

विषय:- महाविद्यालय संचालन हेतु सम्बद्धता की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक: सम्ब0/2011/1192-93, दिनांक 31.5.2011 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा-37(2) के परन्तुक के अधीन सीताराम समर्पण महाविद्यालय, नरैनी, बांदा को कला संकायान्तर्गत स्नातक स्तर पर बी0ए0 (अतिरिक्त विषय) (भूगोल, अर्थशास्त्र एवं गणित) पाठ्यक्रम/विषयों में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 1.7.2011 से सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है :-

- (1) संस्था शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
- (2) यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय,

( सुरजन सिंह )  
अनु सचिव।




संख्या-2420(1)/सत्तर-2-2011-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- (2) क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, झांसी।
- (3) सचिव/प्रबन्धक, सीताराम समर्पण महाविद्यालय, नरैनी, बांदा
- (4) अपर सचिव, उच्च शिक्षा परिषद, इंदिरा भवन, लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शन हेतु।
- (5) वेबमास्टर, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0शासन।
- (6) निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री।
- (7) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

( सुरजन सिंह )  
अनु सचिव।


  
बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी

पत्रांक :- बु0वि0/सम्ब0/2011/ 285-92

दिनांक :- 30 /09/2011

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रबन्धक, सीताराम समर्पण महाविद्यालय, नरैनी, बांदा।
2. समाजकल्याण अधिकारी, बांदा।
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, झांसी।
4. सहा0कुलसचिव(परीक्षा/गो0)।
5. श्री दीपक तोमर ई0 गवर्नेन्स अधिकारी।
6. कुलपति जी के निजी सचिव को कुलपति जी के सूचनार्थ।
7. कुलसचिव के आशुलिपिक।
8. कार्यपरिषद से सम्बन्धित सहायक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त प्रकरण कार्य परिषद की आगामी बैठक में प्रस्तुत करें।

  
(अखिलेश कुमार पाल)  
कुलसचिव



# विज्ञान संकाय

सम्बद्धता प्रमाण-पत्र



उपक.

डॉ० रामानन्द प्रसाद,  
संयुक्त सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,  
बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय,  
झाँसी।

उच्च शिक्षा अनुभाग-2

विषय:-

महाविद्यालय संचालन हेतु सम्बद्धता की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक:बु0वि0/सम्ब0/2010/704-05, दिनांक 23-04-2010 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा-37(2) के परन्तुक के अधीन सीताराम समर्पण महाविद्यालय, नरैनी, बोंदा को स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय में बी0एस-सी0 (भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं गणित) विषयों में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 01-07-2010 से आगामी तीन वर्ष हेतु सशर्त सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है:-

- (1) संस्था द्वारा उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2003 द्वारा मूल अधिनियम, 1973 की धारा-37(2) में प्राविधानित परन्तुक के अनुसार सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि में सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जायेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
- (2) संस्थान/महाविद्यालय प्रपत्र 'बी' में अंकित कमियों की पूर्ति कर लेगा एवं विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
- (3) संस्था शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
- (4) यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिणियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय,

(डॉ० रामानन्द प्रसाद)  
संयुक्त सचिव।

संख्या-सम्ब0-133(1)/सत्तर-2-2010-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- (2) क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, झाँसी।
- (3) सचिव/प्रबन्धक, सीताराम समर्पण महाविद्यालय, नरैनी, बोंदा।
- (4) निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री।
- (5) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डॉ० रामानन्द प्रसाद)  
संयुक्त सचिव।



  
बुन्देलखण्ड विश्वावेद्यालय, झाँसी

पृष्ठांकन सं०:- बु०वि०/सम्ब०/२०१०/१५१७-१६०५

दिनांक :- २९/०७/२०१०

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

१. प्रबंधक, सीताराम समर्पण महाविद्यालय, नरैनी, बांदा।
२. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, झाँसी।
३. डा० डी० के० भट्ट, ई गर्वनेन्श अधिकारी।
४. श्री दीपक तोमर सिस्टम एनालिस्ट।
५. सहा० कुलसचिव (परीक्षा/गोप०)।
६. कुलपति जी के निजी सचिव।
७. कुलसचिव के आशुलिपिक।
८. सम्बन्धित सहायक कार्य परिषद को इस अशय से प्रेषित कि उक्त प्रकरण कार्य परिषद की आगामी बैठक मे प्रस्तुत करें।

*Prile*  
(अखिलेश कुमार पाल)  
उपकुलसचिव

*Prile*  
29/7/10



212  
संख्या- सम्ब0-332/सत्तर-2-2013-2(332)/2013

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,  
अनु सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,  
बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय,  
झांसी।

श्रीमती आरती कुमार  
6  
05/9/2013

उच्च शिक्षा अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक: 29 अगस्त, 2013

विषय:- महाविद्यालय संचालन हेतु सम्बद्धता की पूर्वानुमति के संबंध में।  
महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक:-बु0वि0/सम्ब/2013/2669-70, दिनांक 29.6.2013 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा-37(2) के परन्तुक के अधीन सीताराम समर्पण महाविद्यालय, नरैनी, बांदा को विज्ञान संकायान्तर्गत स्नातक स्तर पर बी0एससी0 (भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं गणित) पाठ्यक्रम/विषयों में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 01.7.2013 से सम्बद्धता की पूर्वानुमति इस शर्त के साथ प्रदान कर दी है कि विश्वविद्यालय द्वारा संबद्धता आदेश निर्गत करने के पूर्व महाविद्यालय से सामूहिक नकल में आरोपित न होने का प्रमाण पत्र, अद्यतन अग्निशमन प्रमाण पत्र एवं अनुमोदित व वेतन भुगतान किये जा रहे शिक्षकों का नियुक्ति पत्र, अनुबन्ध पत्र प्राप्त कर लिया जायेगा :-

- (i) विश्वविद्यालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि सम्बद्धता सम्बन्धी शासन को उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के साथ महाविद्यालय द्वारा संलग्न किये गये अभिलेख प्रमाणिक एवं सत्य हैं। विश्वविद्यालय स्तर से इसकी पुनः पुष्टि कर ली जायेगी। अभिलेखों से इतर पाये जाने की स्थिति में विश्वविद्यालय का दायित्व होगा कि सम्बन्धित महाविद्यालय की सम्बद्धता के सम्बन्ध में अपनी संस्तुति से शासन को तत्काल सूचित किया जाये।
- (ii) महाविद्यालय को प्रदान किये जाने वाले सम्बद्धता आदेश में उल्लिखित शर्तों का निरन्तर अनुश्रवण किया जायेगा। यदि यह पाया जाता है कि सम्बद्धता आदेश में उल्लिखित शर्तों को पूर्ण नहीं किया जा रहा है/नहीं किया गया है, तो सम्बद्धता वापस लेने की कार्यवाही की जायेगी और विश्वविद्यालय तथा सम्बन्धित महाविद्यालय के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।




- (iii) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित) की धारा-37(2) के द्वितीय परन्तुक में यह व्यवस्था है कि "परन्तु अग्रेतर यह कि जब तक सम्बद्धता की सभी निर्धारित शर्तों का महाविद्यालय द्वारा पालन न किया गया हो, तब तक वह अध्ययन के उस पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में किसी भी विद्यार्थी को प्रवेश नहीं देगा, जिसके लिये उस सम्बद्धता के प्रारम्भ होने की तारीख से एक वर्ष के पश्चात् पूर्वगामी परन्तुक के अधीन सम्बद्धता प्रदान की जाती है।" इस व्यवस्था का अनुपालन विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
- (iv) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित) की धारा-37(6) एवं 37(7) में इस सम्बन्ध में सुसंगत व्यवस्था निम्न है:-  
37(6):- कार्यपरिषद् प्रत्येक सम्बद्ध महाविद्यालय का निरीक्षण, उस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा पांच वर्ष से अनधिक के अन्तराल पर समय-समय पर करायेगा और उस निरीक्षण की रिपोर्ट कार्यपरिषद् को दी जायेगी।  
37(7):- कार्यपरिषद् इस प्रकार निरीक्षण किये गये सम्बद्ध महाविद्यालय को ऐसी कार्रवाई करने का निदेश कर सकेगा जो उसे उस अवधि के भीतर, जिसे विहित किया जाये आवश्यक लगे।  
उक्त प्राविधानों के अन्तर्गत विश्वविद्यालय द्वारा कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी और शासन को रिपोर्ट प्रेषित की जायेगी।
- (v) सम्बद्धता आदेश में उल्लिखित कमियों की पूर्ति विश्वविद्यालय द्वारा करा ली गयी है अथवा नहीं, के सम्बन्ध में सम्बन्धित क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी द्वारा एक माह में शासन को सूचना उपलब्ध करायी जायेगी।
- (vi) सम्बद्धता आदेश निर्गत करने के पहले विश्वविद्यालय के कुलपति तथा रजिस्ट्रार इस बात का भली-भाँति परीक्षण कर लेंगे कि विभिन्न मानकों पर पूर्ण अनुपालन किया जा रहा है और जो भी कमी प्रदर्शित हुयी है उसकी पूर्ति कर ली गयी है। अगर भविष्य में मानकों के विपरीत महाविद्यालयों का संचालन पाया गया व अभिलेखों की अप्रमाणिकता प्रकाश में आयी तो यह पूर्व अनुमति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।
- (vii) संस्था शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।



(viii) मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के संबंध में निर्गत शासनादेश संख्या-522/सत्तर-2-2013-2(650)/2012, दिनांक 30 अप्रैल, 2013 का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा।

भवदीय,

  
( सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर )  
अनु सूचिव।

संख्या- सम्ब0-332 (1)/सत्तर-2-2013-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (1) निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- (2) क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, झाँसी।
- (3) सचिव/प्रबन्धक, सीताराम समर्पण महाविद्यालय, नरैनी, बांदा।
- (4) अपर सचिव, उच्च शिक्षा परिषद, इंदिरा भवन, लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शन हेतु।
- (5) निजी सचिव, सचिव, मुख्यमंत्री (श्रीमती अनिता सिंह), उ0प्र0शासन।
- (6) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

( सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर )  
अनु सचिव।



बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी

पत्रांक :- बु0वि0/सम्ब0/2013/ 606-14

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रबंधक सीताराम समर्पण महाविद्यालय, नरैनी, बांदा।

2. समाजकल्याण अधिकारी बांदा।

3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, झाँसी।

4. सहा0कुलसचिव(परीक्षा/गो0)।


5. श्री दीपक तोमर ई0 गवर्नेन्स अधिकारी।


6. कुलपति जी के निजी सचिव को कुलपति जी के सूचनार्थ।

7. कुलसचिव के आशुलिपिक।

8. कार्यपरिषद से सम्बन्धित सहायक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त प्रकरण कार्य परिषद की आगामी बैठक में प्रस्तुत करें।

दिनांक :- /09/2013  
08-10-13

  
(अशोक कुमार अरविन्द)  
कुलसचिव

  
27-9-13



# बी०एड० संकाय

सम्बद्धता प्रमाण पत्र



2518

22/12/2009

संख्या-2502/सत्तर-2-2009-2(289)/2009

प्रेषक,

डॉ० रामानन्द प्रसाद,  
संयुक्त सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

o.s (Offil)

Reg  
21-12-09.

438

सेवा में,

कुलसचिव,  
बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय,  
झाँसी

(31/12/09)

उच्च शिक्षा अनुभाग-2

लखनऊ:दिनांक: 17 दिसम्बर, 2009

विषय:- महाविद्यालय संचालन हेतु सम्बद्धता की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक:बु0वि0/सम्ब0/2009/1079-80, दिनांक 15-05-2009 एवं पत्रांक:बु0वि0/सम्ब0/2009/50-51, दिनांक 10-07-2009 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा-37(2) के परन्तुक के अधीन सीताराम समर्पण महाविद्यालय, नरैनी, बाँदा को स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय में बी0एड0 पाठ्यक्रम में 100 सीटों की प्रवेश क्षमता के साथ स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 01-07-2009 से आगामी एक वर्ष हेतु संशर्त सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है:-

- (1) संस्था द्वारा उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2003 द्वारा मूल अधिनियम, 1973 की धारा-37(2) में प्राविधानित परन्तुक के अनुसार सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि में सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जायेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
- (2) संस्थान/महाविद्यालय प्रपत्र 'बी' में अंकित कमियों की पूर्ति कर लेगा एवं विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
- (3) संस्था शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई 2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।

यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिणियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने का कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

ATTESSED

(4)



- (5) संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित समस्त मानकों को उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित करेगी एवं परिषद द्वारा निर्धारित समस्त शर्त अनुपालन करेगी।
- (6) विश्वविद्यालय द्वारा सशर्त सम्बद्धता के आदेश निर्गत किये जाने के पूर्व शासन दिनांक 12-07-2005 के अनुसार शिक्षकों से शपथ पत्र प्राप्त कर लिया जायेगा।

भवदीय,

(डॉ० रामानन्द प्रसाद)  
संयुक्त सचिव।

संख्या-2502(1)/सत्तर-2-2009-तददिनांक

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
- (1) क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, उत्तर क्षेत्रीय समिति, ए-46, श. पथ, तिलक नगर, जयपुर।
  - (2) निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
  - (3) क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, झाँसी।
  - (4) सचिव/प्रबन्धक, सीताराम समर्पण महाविद्यालय, नरैनी, बाँदा।
  - (5) निजी सचिव, मा० उच्च शिक्षा मंत्री।
  - (6) गार्ड फाइल।

आज्ञा से.

(डॉ० रामानन्द प्रसाद)  
संयुक्त सचिव

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी।

पत्रांक - बु०वि०/सन्व०/2009/1817-25

दिनांक - 06-11

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रबंधक सीताराम समर्पण महाविद्यालय नरैनी, बाँदा को इस सूचना के साथ प्रेषित कि सत्र 2009-10 बी.एड. कार्यक्रम को शासन द्वारा शून्य घोषित कर दिया गया है। शासनादेश दिनांक 15.10.2009 की की छाया प्रति संलग्न।
2. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, झाँसी।
3. डॉ. डी० के० भट्ट, ई. गवर्नेन्स अधिकारी।
4. श्री दीपक तोमर सिस्टम एनालिस्ट।
5. सहा० कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय)।
6. कुलपति जी के निजी सचिव।
7. कुलसचिव के आशुलिपिक।
8. सम्बन्धित सहायक कार्य परिषद को इस आशय से प्रेषित कि उक्त प्रकरण कार्य परिषद की आगामी बैठक में प्रस्तुत करे।

(ए० के० पॉल)



300  
27/7/10

संख्या-सम्ब0-132/सत्तर-2-2010-2(132)/2010

प्रेषक,

डॉ० रामानन्द प्रसाद,  
संयुक्त सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,  
बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय,  
झाँसी।

श्री आर्य के. ए. ए. डी. (A. D. D.)

अध्यक्ष

Regis. No. 267/10

उच्च शिक्षा अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक: 23 जुलाई, 2010

विषय:- महाविद्यालय संचालन हेतु सम्बद्धता की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक: बु0वि0/सम्ब0/2010/801-02, दिनांक 23-04-2010 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा-37(2) के परन्तुक के अधीन सीताराम समर्पण महाविद्यालय, नरैनी, बौदा को शिक्षा संकायान्तर्गत स्नातक स्तर पर बी0एड0 पाठ्यक्रम में 100 सीटों की प्रवेश क्षमता के साथ स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 01-07-2010 से आगामी एक वर्ष हेतु सशर्त सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है:-

- (1) संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित समस्त मानकों को पूर्ण तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित करेगी एवं परिषद द्वारा निर्धारित समस्त शर्तों का अनुपालन करेगी।
- (2) महाविद्यालय/संस्थान द्वारा बी0एड0 पाठ्यक्रम में शासन द्वारा अनुमन्य समस्त सीटों को सुसंगत एवं अद्यतन शासनादेश के अनुसार किसी शैक्षिक सत्र में होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित एवं काउन्सिलिंग के माध्यम से आवंटित अभ्यर्थियों के माध्यम से ही भरा जायेगा तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार शैक्षिक दिवसों में पठन-पाठन कराया जायेगा।
- (3) संस्था द्वारा उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2003 द्वारा मूल अधिनियम, 1973 की धारा-37(2) में प्राविधानित परन्तुक के अनुसार सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि में सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जायेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
- (4) संस्थान/महाविद्यालय प्रपत्र 'बी' में अंकित कमियों की पूर्ति कर लेगा एवं विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।



- (5) संस्था शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
- (6) यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय,

(डॉ० रामानन्द प्रसाद)  
संयुक्त सचिव।

संख्या-सम्ब०-132(1)/सत्तर-2-2010-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, उत्तर क्षेत्रीय समिति, ए-46, शान्ति पथ, तिलक नगर, जयपुर।
- (2) निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- (3) क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, झाँसी।
- (4) सचिव/प्रबन्धक, सीताराम समर्पण महाविद्यालय, नरैनी, बाँदा।
- (5) निजी सचिव, मा० उच्च शिक्षा मंत्री।
- (6) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डॉ० रामानन्द प्रसाद)  
संयुक्त सचिव।



बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी

पृष्ठांकन सं०:- बु०वि०/सम्ब०/2010/ 1588-96

दिनांक :- 28/07/2010

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रबंधक, सीताराम समर्पण महाविद्यालय, नरैनी, बाँदा।
2. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, झाँसी।
3. डा० डी० के० भट्ट, ई गर्वनेन्स अधिकारी।
4. श्री दीपक तोमर सिस्टम एनालिस्ट।
5. सहा० कुलसचिव (परीक्षा/गोप०)।
6. कुलपति जी के निजी सचिव।
7. कुलसचिव के आंशुलिपिक।
8. सम्बन्धित सहायक कार्य परिषद को इस आशय से प्रेषित कि उक्त प्रकरण कार्य परिषद की आगामी बैठक में प्रस्तुत करें।

(अखिलेश कुमार पाल)  
उपकुलसचिव



प्रेषक,

सुरजन सिंह,  
अनु सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,  
बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय,  
झांसी।

DIRC AH/11

18-7-11

उच्च शिक्षा अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक: 7 जुलाई, 2011

विषय:- महाविद्यालय संचालन हेतु सम्बद्धता की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक: सम्ब0/2011/1670-71, दिनांक 30.6.2011 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा-37(2) के परन्तुक के अधीन सीताराम समर्पण महाविद्यालय, नरैनी, बांदा को स्नातक स्तर पर शिक्षा संकायान्तर्गत बी0एड0 पाठ्यक्रम (100 सीट) में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत पूर्व वर्ष (2010-11) में शिक्षकों के खातों में धनराशि अंतरित होने का साक्ष्य न होने के दृष्टिगत निम्नलिखित शर्तों के अधीन शैक्षणिक सत्र 2011-12 हेतु दिनांक 1.7.2011 से आगामी एक वर्ष के लिए सम्बद्धता विस्तरण की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है :-

- (1) संस्था शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
- (2) महाविद्यालय/संस्थान द्वारा बी0एड0 पाठ्यक्रम में शासन द्वारा अनुमन्य समस्त सीटों को सुसंगत एवं अद्यतन शासनादेश के अनुसार किसी शैक्षिक सत्र में होने वाली प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित एवं काउंसिलिंग के माध्यम से आवंटित अभ्यर्थियों के माध्यम से ही भरा जायेगा तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार शैक्षिक दिवसों में पठन-पाठन कराया जायेगा।
- (3) यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
- (4) संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित समस्त मानकों को पूर्ण तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित करेगी एवं परिषद द्वारा निर्धारित समस्त शर्तों का अनुपालन करेगी।

भवदीय,

( सुरजन सिंह )  
अनु सचिव।



संख्या-2126(1)/सत्तर-2-2011-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, उत्तर क्षेत्रीय समिति, ए-46, शान्ति पथ, तिलक नगर, जयपुर।
- (2) निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- (3) क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, झाँसी।
- (4) सचिव/प्रबन्धक, सीताराम समर्पण महाविद्यालय, नरैनी, बांदा
- (5) वेबमास्टर, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0शासन।
- (6) अपर सचिव, उच्च शिक्षा परिषद, इंदिरा भवन, लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शन हेतु।
- (7) निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री।
- (8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

( सुरजन सिंह )  
अनु सचिव।




बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी

पृष्ठांकन सं०:- बु0वि0/सम्ब0/2011/2179-87

दिनांक :-28/07/2011

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रबंधक सीताराम समर्पण महाविद्यालय, नरैनी, बांदा।
2. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, झाँसी।
3. समाजकल्याण अधिकारी,, बांदा।
4. श्री दीपक तोमर , ई गर्वनेन्हा अधिकारी।
5. सहा0 कुलसचिव (परीक्षा/गोप0)।
6. कुलपति जी के निजी सचिव।
7. कुलसचिव के आशुलिपिक।
8. सम्बन्धित सहायक कार्य परिषद को इस आशय से प्रेषित कि उक्त प्रकरण कार्य परिषद की आगामी बैठक मे प्रस्तुत करें।

  
(धीरेन्द्र प्रताप सिंह)  
कुलसचिव



प्रेषक,

डा0 जयदेव मित्रा,  
संयुक्त सचिव  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,  
बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय,  
झांसी।

उच्च शिक्षा अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक 9 मई, 2012

विषय:-बी0एड0 पाठ्यक्रम सत्र 2012-13 में सम्बद्धता की पूर्वानुमति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र बु0वि0/सम्ब0/2011/781-82, दिनांक 14.11.2011 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा-37(2) के परन्तुक के अधीन सीताराम समर्पण महाविद्यालय, नरैनी, बांदा को स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अंतर्गत बी0एड0 पाठ्यक्रम में 100 सीटों की प्रवेश क्षमता सहित स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन शैक्षिक सत्र 2012-13 हेतु दिनांक 1.7.2012 से सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है :-

- (1) संस्था शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
- (2) महाविद्यालय/संस्था द्वारा बी0एड0 पाठ्यक्रम में शासन द्वारा अनुमन्य समस्त सीटों को सुसंगत एवं अद्यतन शासनादेश के अनुसार शैक्षिक सत्र 2012-13 की संयुक्त बी0एड0 प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित एवं काउन्सिलिंग के माध्यम से आवंटित अभ्यर्थियों के माध्यम से ही भरा जाएगा तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार शैक्षिक दिवसों में पठन-पाठन कराया जाएगा।
- (3) संस्था, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित समस्त मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित करेगी एवं परिषद द्वारा निर्धारित समस्त शर्तों का अनुपालन करेगी।

69  
19-5-2012  
JA



- (4) यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जाएगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के सुसंगत प्राविधानों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- (5) यदि प्रश्नगत मामले में एन0बी0सी0 का प्रमाणपत्र प्राईवेट एजेन्सी से प्राप्त है अथवा सक्षम स्तर का प्रमाण पत्र नहीं है, इनमें यथास्थिति लोक निर्माण विभाग अथवा ग्रामीण अभियंत्रण सेवा के सक्षम अधिकारी (अधि0 अभियन्ता) का प्रमाण पत्र और अग्निशमन का प्रमाण पत्र अद्यतन नहीं है अथवा प्रमाण पत्र नहीं है, तो उनमें अग्निशमन का नवीनतम (वर्ष 2012 तक का) प्रमाण पत्र महाविद्यालय से विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक 20.5.2012 तक प्राप्त कर लिया जायेगा, अन्यथा संबद्धता का आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा।

भवदीय,

( डा0 जयदेव मित्रा )  
संयुक्त सचिव।

संख्या-सम्ब0-05(1)/सत्तर-2-2012, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (1) क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, उत्तर क्षेत्रीय समिति, ए-46, शान्तिपथ, तिलक नगर, जयपुर।
- (2) निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- (3) क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, झांसी।
- (4) सचिव/प्रबन्धक, सीताराम समर्पण महाविद्यालय, नरैनी, बांदा।
- (5) वेबमास्टर, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0शासन।
- (6) अपर सचिव, उच्च शिक्षा परिषद, इन्दिराभवन, लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शन हेतु।
- (7) निजी सचिव, सचिव, मुख्यमंत्री (श्री आलोक कुमार), उ0प्र0शासन।
- (8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ज. मित्रा

( डा0 जयदेव मित्रा )  
संयुक्त सचिव।





## बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी

पत्रांक :- बु0वि0/सम्ब0/2012/1036 - 45

दिनांक :- 09 /05/2012

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-2, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ।
2. प्रबंधक, सीताराम समर्पण महाविद्यालय, नरैनी, बांदा।
3. समाजकल्याण अधिकारी बांदा।
4. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, झाँसी।
5. सहायक कुलसचिव(परीक्षा/गो0)।
6. श्री दीपक तोमर ई0 गवर्नेन्स अधिकारी।
7. कुलपति जी के निजी सचिव को कुलपति जी के सूचनार्थ।
8. कुलसचिव के आशुलिपिक।
9. कार्यपरिषद से सम्बन्धित सहायक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त प्रकरण कार्य परिषद की आगामी बैठक में प्रस्तुत करें।

(अशोक कुमार अरुविन्द)  
कुलसचिव 09/05/12



संख्या- 1328 /सत्तर-2-2012-2(132)/2010

प्रेषक,

डा० जयदेव मित्रा,  
संयुक्त सचिव  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,  
बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय,  
झांसी।

उच्च शिक्षा अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक 10 मई, 2012

विषय:-बी०एड० पाठ्यक्रम सत्र 2012-13 के आदेश में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-सम्ब०-05/सत्तर-2-2012-2(132)/2010, दिनांक 9-5-2012 द्वारा सीताराम समर्पण महाविद्यालय, नरैनी, बांदा को स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अंतर्गत बी०एड० पाठ्यक्रम में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत शैक्षिक सत्र 2012-13 हेतु दिनांक 1-7-2012 से सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान की गयी है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रकरण में शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त शासनादेश दिनांक 9-5-2012 को संशोधित करते हुए प्रश्नगत संस्था सीताराम समर्पण महाविद्यालय, नरैनी, बांदा को बी०एड० पाठ्यक्रम में सत्र 2012-13 हेतु के स्थान पर बी०एड० पाठ्यक्रम में सत्र 2012-13 से सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान की जाती है, पढ़ा जाय।

3- इस संबंध में शासनादेश संख्या-सम्ब०-05/सत्तर-2-2012-2(132)/2010, दिनांक 9-5-2012 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये।

भवदीय,

( डा० जयदेव मित्रा )  
संयुक्त सचिव।

70  
19-5-2012  
[Signature]



संख्या- 1328(1)/सत्तर-2-2012, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, उत्तर क्षेत्रीय समिति, ए-46, शान्तिपथ, तिलक नगर, जयपुर।
- (2) निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- (3) क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, झाँसी।
- (4) सचिव/प्रबन्धक, सीताराम समर्पण महाविद्यालय, नरैनी, बांदा।
- (5) वेबमास्टर, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0शासन।
- (6) अपर सचिव, उच्च शिक्षा परिषद, इन्दिराभवन, लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शन हेतु।
- (7) निजी सचिव, सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी( श्री आलोक कुमार)
- (8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

( डा0 जयदेव मित्रा )  
संयुक्त सचिव

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी

पत्रांक :- बु0वि0/सम्ब0/2012/ 1375-83

दिनांक :- 25-5-2012

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रबंधक, सीताराम समर्पण महाविद्यालय, नरैनी, बांदा
2. समाजकल्याण अधिकारी बांदा।
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, झाँसी।
4. सहा0कुलसचिव(परीक्षा/गो0)।
5. श्री दीपक तोमर ई0 गवर्नेन्स अधिकारी।
6. कुलपति जी के निजी सचिव को कुलपति जी के सूचनार्थ।
7. कुलसचिव के आशुलिपिक।
8. कार्यपरिषद से सम्बन्धित सहायक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त प्रकरण कार्य परिषद की आगामी बैठक में प्रस्तुत करें।

*nsle*  
(अखिलेश कुमार पाल)  
उपकुलसचिव



Ph. 23236351, 23232701, 23237721  
23234116, 23235733, 23232317  
23236735, 23239437, 23239627

Extension No. 413 (CPP-I Colleges)  
UGC Website: [www.ugc.ac.in](http://www.ugc.ac.in)



शांति-विज्ञान विभूतये  
SPEED POST

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग  
बहादुरशाह जफर मार्ग  
नई दिल्ली 110 002  
UNIVERSITY GRANTS COMMISSION  
BAHADURSHAH ZAFAR MARG  
NEW DELHI-110 002

F. No. 8-135/2010 (CPP-I/C)

July, 2011

The Registrar,  
Bundelkhand University,  
Jhansi - 284 128.

Uttar Pradesh.

1 AUG 2011

**Sub:** - Recognition of College under Section 2 (f) & 12 (B) of the UGC Act, 1956.

Sir,

I am directed to refer to the letter No. S.R.S.M/11/U.G.C./732/2011 dated 17.03.20 received from the Principal, Sitaram Samarpan Mahavidyalaya, Attara Road, Naraini, Banda 210 129, (Uttar Pradesh) on the above subject and to say that it is noted that the following college **un-aided/self financed** and **permanently** affiliated to **Bundelkhand University**. I am further to state that the name of the following college has been included in the list of colleges prepared under Section 2 (f) & 12 (B) of the UGC Act, 1956 under the head 'Non Government Colleges teaching upto Bachelor's-Degree' as per the decision of the Commission dated 04<sup>th</sup> May, 2010:-

Name of the College	Year of Establishment	Remarks
Sitaram Samarpan Mahavidyalaya, Attara Road, Naraini, Banda - 210 129, (Uttar Pradesh).	2004	The college is granted 12 (B) status to make it eligible to receive central assistance from sources other than UGC.

The Indemnity Bond and the other supporting documents submitted in respect of the above College have been accepted by the University Grants Commission.

Yours faithfully

(Uma Bai)  
Under Secretary

Copy to:-

- ✓ The Principal, Sitaram Samarpan Mahavidyalaya, (Uttar Pradesh).
2. The Secretary, Government of India, Ministry of Human Resource Development, Department Secondary & Higher Education, Shastri Bhawan, New Delhi - 110 001.
3. The Principal Secretary, Higher Education Department, Government of Uttar Pradesh, Nav Bhawan, Sachivalaya, Lucknow - 226 001, (Uttar Pradesh).
4. The Joint Secretary, UGC, Northern Regional College Bureau (NRCB), 35, Ferozeshah Road, New Delhi - 110 001.
5. Publication Officer (UGC-Website), New Delhi.
6. Section Officer (FD-III Section), UGC, New Delhi.
7. All Sections, UGC, New Delhi.
8. Guard file.



Ph. 23236351, 23232701, 23237721  
23234716, 23235733, 23232317  
23236735, 23239437, 23239627

Extension No. 413 (CPP-I Colleges)  
UGC Website: [www.ugc.ac.in](http://www.ugc.ac.in)

F. No. B-135/2010 (CPP-I/C)

The Registrar,  
Bundelkhand University  
Kanpur Road, Jhansi - 284 128  
Uttar Pradesh

Sub: - Change the status of the College under Section 2 (f) & 12 (B) of the UGC Act, 1956.

Sir,

In supersession of this office letter of even no. dated 01.08.2011 on the above subject and to say that Sitaram Samarpan Mahavidyalaya, Naraini, Banda - 210 129, Uttar Pradesh is un-aided/self financed College and permanently affiliated to Bundelkhand University, Jhansi and the name of aforesaid college has been included in the list of colleges prepared under Section 2 (f) & 12 (B) of the UGC Act, 1956 under the head 'Non-Government, self financed College teaching upto Bachelor's Degree'.

Name of the College	Year of Establishment	Remarks
Sitaram Samarpan Mahavidyalaya, Naraini, Banda - 210 129, Uttar Pradesh.	2004	The College is now declared fit to receive Central assistance in terms of Rules framed under Section 12 (B) of the UGC Act, 1956. However, the College, being a self financing & unaided, would be eligible to receive UGC's support only in respect of teachers & students related schemes as per the decision of the Commission dated 8 <sup>th</sup> July 2011.

The documents submitted in respect of the above College have been accepted by the University Grants Commission. The earlier letter dated 01.08.2011 may please be treated as cancelled.

Entry has been made  
at P. 71 S. No. 3

Yours faithfully,

*Charan Dass*  
(Charan Dass)  
Under Secretary

Copy to:-

1. The Principal, Sitaram Samarpan Mahavidyalaya, Naraini, Banda - 210 129, Uttar Pradesh.
2. The Secretary, Government of India, Ministry of Higher Education, Shastri Bhawan, New Delhi - 110 001.
3. The Secretary (Higher Education), New Haryana Civil Secretariat, Sector 17 - C, 5<sup>th</sup> Floor, Room No. 528, Chandigarh - 160 017.
4. The Joint Secretary, UGC, Northern Regional College Bureau (NRCB), 35, Ferozeshah Road, New Delhi - 110 001.
5. Publication Officer (Website-UGC), New Delhi.
6. Section Officer (F.D. - III Section) U.G.C., New Delhi.
7. Guard file.

*Sunita*  
(Sunita Khanna)  
Section Officer



तार : विश्वविद्यालय  
Gram : UNIVERSITY



टेलीफोन : कार्यालय : 2320496  
कुलसचिव : निवास : 2321214  
फैक्स : 0510 : 2321667

## बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी BUNDELKHAND UNIVERSITY, JHANSI (U.P.)

झाँसी (उ.प्र.) 284128

दिनांक २१/११/१५

संदर्भ: १५१७/१११/२०१५/१२११

### TO WHOM IT MAY CONCERN

This is to certify that Sitaram Samarpan Mahavidyalaya, Naraini, Banda(U.P) is affiliated to the BUNDELKHAND UNIVERSITY, JHANSI (U.P) Under S.F.S College Since 2004 and recognized by the University Grants Commission and the following Courses/Subjects are taught in the said college as per approval.

S. No.	Name of the Course(s) and Duration	Affiliation permanent/ Temporary	Period of validity for the year(s)
1	Three Year B.A Course in Hindi, English, Sanskrit, Education, Sociology, Political Science and History	Permanent Under S.F.S	01/07/2007 to till date
2	Additional Subject in Three year B.A Course Geography, Economics and Maths	Permanent Under S.F.S	Since 01-07-2011 to till date
3	One Year B.Ed	Permanent Under S.F.S	Since 01-07-2012 to till date
4	Three year B.Sc (Math & Bio)	Permanent Under S.F.S	Since 01-07-2013 to till date
5	Two year M.A Course in Political Science	Temporary Under S.F.S	Since 01-07-2015 to till date

  
REGISTRAR